

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

**सा.का.नि. 329.**—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों को गैर-सांविधिक विभागीय कैटीनों में सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर-कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय, सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर-कीपर (गैर-सांविधिक विभागीय कैटीनों) भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर कीपर	4* (2011) (*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	पी बी-1, (5200-20200 रुपए) ग्रेड पे 2400 रुपए <b>टिप्पणी :</b> इसके अतिरिक्त वह 'ए', 'बी', 'सी', 'डी'; '2-ए' और '3-ए' प्रकार की कैटीनों में कार्य करने के लिए 250 रुपए प्रतिमाह और '4-ए' तथा उससे ऊपर के प्रकार की कैटीनों में 500 रुपए	अचयन	21 से 28 वर्ष के बीच : (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार) <b>टिप्पणी :</b> आयु सीमा के निर्धारण की तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जोकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग,

